संख्या-24/2021/1302/86-2021-02(बजट)/2020

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 29 अक्टूबर, 2021

विषयः- The Integrated IT Solutions Support & Services के लिये भाग-1 एवं भाग-बी में प्रस्तावित कार्यों हेतु कुल घनराशि रू0 72,30,898.00 की वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की अनुमति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1547/एस-726/20, दिनांक 07.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि The Integrated IT Solutions Support & Services के लिए भाग-A एवं भाग-B में प्रस्तावित कार्यों हेतु श्री राज्यपाल एतद्द्वारा, अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के मुख्य लेखाशीर्षक "2853 के मानक मद-"16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 85,48,618.00 (रूपये पचासी लाख अड़तालीस हजार छः सौ अट्ठारह मात्र) में से The Integrated IT Solutions Support & Services के लिए भाग-A एवं भाग-B में प्रस्तावित कार्यों हेतु कुल धनराशि रूपये-72,30,898.00 (रूपये बहत्तर लाख तीस हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) की, उ0प्र0 डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरशन लि0, लखनऊ के पक्ष में, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की अनुमति प्रदान करते -

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस- 2020-231/2020,दिनांक 24.03.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/ बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 में उल्लिखित दिशा- निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) प्रस्तावित कार्य के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों/शासनादेशों/प्रक्रिया/दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(4) स्वीकृत धनराशि के आग्रिम आहरण के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग शासनादेश संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017 में दी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ-साथ एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों आदि का अनुपालन किया जायेगा।

(5) प्रस्तावित कार्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा किया गया कार्य भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा निर्गत कार्यादेश के अनुरूप होगा।

(7) स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 द्वारा करा लिया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के मुख्य लेखाशीर्षक "2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02 खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 खनन प्रशासन की योजना" के मानक मद-"16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" के नामें डाला जायेगा।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)

सचिव।

संख्याः 1302(1)/86-2021, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2 एवं 3
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।